



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 338 राँची, मंगलवार,

16 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 जून, 2026

संख्या-5/आरोप-1-172/2017-36669 (HRMS)--श्री अशोक कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-594/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पत्रांक-13460, दिनांक 13.11.2017 द्वारा सूचित किया गया कि भ्र०नि० ब्यूरो पलामू थाना कांड सं०-27/17, दिनांक 12.09.17, धारा-7/13(2) भ्र०नि० अधिनियम, 1988 के अभियुक्त श्री अशोक कुमार सिन्हा को परिवादी श्री लाल बहादुर सिंह, विशुनपुरा, गढ़वा से 10,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए भ्र०नि० ब्यूरो, पलामू के धावादल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिनांक 13.09.2017 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

श्री सिन्हा को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-11855, दिनांक 04.12.2017 द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 13.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक इनको निलंबित किया गया। न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री सिन्हा द्वारा विभाग में योगदान समर्पित किया गया, जिसके आलोक में विभाग में योगदान दिये जाने की तिथि 18.12.2017 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं०-149(HRMS), दिनांक 15.02.2018 द्वारा पुनः श्री सिन्हा को निलंबित किया गया।

विषयांकित कांड में विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं0-62/जे0, दिनांक 13.12.2017 द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी तथा माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी न्यायालय, पलामू में आरोप पत्र सं0-17/17, दिनांक 10.11.2017 समर्पित किया गया।

श्री सिन्हा के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में हुई चूक के लिए विभागीय पत्रांक-11955, दिनांक 07.12.2017 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-194, दिनांक 07.02.2018 द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप पत्र विभागीय परिपत्र सं0-8000, दिनांक 02.09.2015 के अनुरूप नहीं रहने के कारण उपायुक्त, गढ़वा से पुनः प्रपत्र-‘क’ की माँग की गयी, जिस पर उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-882/मनरेगा, दिनांक 26.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिन्हा को परिवारी श्री लाल बहादुर सिंह, विशुनपुरा, गढ़वा से बकरी शेड योजना में रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू के धावादल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। प्रखण्ड कार्यालय, विशुनपुरा में उपलब्ध कागजातों एवं मामले की छानबीन के पश्चात पाया गया कि परिवारी के नाम से कोई योजना पारित नहीं है और न ही ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा योजना स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्रखण्ड कार्यालय को प्राप्त हुआ है। साथ ही, श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं पाया गया। ऐसी परिस्थिति में परिवारी द्वारा लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-2495(HRMS), दिनांक 05.10.2018 द्वारा श्री सिन्हा को निलंबन से मुक्त किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा भ0नि0 ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या-27/17, दिनांक 12.09.2017 के अंतिम निष्पादन के पश्चात् लिया जायेगा।

श्री सिन्हा के पत्र, दिनांक 17.02.2026 द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा Special (Vigilance) Case No. 30 of 2017 (Arising out of Anti Corruption Bureau P.S. Case No. 27/2017) में दिनांक 21.01.2026 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए उल्लेख किया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना कांड सं0-27/2017, दिनांक 12.09.2017 में दिनांक 21.01.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम), निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा विशेष (निगरानी) वाद सं0-30/2017 में इनको दोषमुक्त (Acquitted) कर दिया गया है।

माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है अथवा नहीं, के संबंध में विभागीय पत्रांक-1379, दिनांक 06.03.2026 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से प्रतिवेदन की माँग की गई है।

उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-392, दिनांक 12.05.2026 द्वारा अपर लोक अभियोजक, पलामू के पत्रांक-497, दिनांक 22.04.2026 की प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए अंकित किया गया है कि जिला अभियोजन कार्यालय, पलामू के द्वारा Special (Vigilance) Case No. 30 of 2017 (Arising out of Anti Corruption Bureau P.S. Case No. 27/2017) में माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित न्यायादेश में दोषमुक्त करने एवं पारित न्यायादेश के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से कोई अपील दायर नहीं करने संबंधी सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा Special (Vigilance) Case No. 30 of 2017 (Arising out of Anti Corruption Bureau P.S. Case No. 27/2017) में दिनांक 21.01.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"In view of above discussion, I have come to the conclusion that the prosecution has not been able to prove the charges levelled against the accused. I do not find guilty the accused Ashok Kumar Sinha and he is hereby acquitted for the offence punishable U/S-7 & 13(2) read with 13(1)(d) Prevention of Corruption Act, 1988. He is on bail, so, he and his bailors are discharge from the liability of bail bonds."

अतः माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित न्यायादेश एवं मामले के समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री अशोक कुमार सिन्हा, झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है ।

(ख) श्री सिन्हा के निलंबन अवधि दिनांक 13.09.2017 से 05.10.2018 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अशोक कुमार सिन्हा, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASHOK KUMAR SINHA 110011209940	माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित न्यायादेश एवं मामले के समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है- (क) श्री अशोक कुमार सिन्हा, झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है । (ख) श्री सिन्हा के निलंबन अवधि दिनांक 13.09.2017 से 05.10.2018 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
